11.1.23 पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उप.।
पत्रावली वास्ते विप्रार्थी सं. 1,3,6,7,10,14 से 16 का इंतजार एवं जवाब का पेश हो। आदेश 22.8.23 को पेश हो।

SDO सिणधरी

23.8.23 पत्रावली पेश हुई।
पीठासीन अधिकारी लो. स./वि.स. अवकाश पर होने से पत्रावली इंतजार जवाब आदेश 11.10.23 को पेश हो।

23/8

11.10.23 वकील वादी / प्रार्थी उपस्थित । पीठासीन अधिकारी दिगर प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते जवाब एवं इंतजार दिनांक 25.10.23 को पेश हो।

11/x

25.10.23 वकील वादी / प्रार्थी उपस्थित । पीठासीन अधिकारी वि. / लो. सभा चुनाव बावत दीगर प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली वास्ते ... दिनांक 13.12.23 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:44:42 IST
Reason: SelfAttested

13.12.2023 पत्रावली पेश हुई।

वादीगण के वकील उप0। विप्रार्थी सं. 16 के पैरोकार उप0।

विप्रार्थी सं. 1 से 15 को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। आवेदन पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थीगण के वकील की बहस में अपने आवेदन के तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 के पैतृक कब्जा काश्त का खेत मौजा पांयला खुर्द ...
खुर्द तहसील ...

हैक्टेयर, खसरा नम्बर 272/8 रकबा 2.3623 हैक्टेयर कुल रकबा 6.3264 हैक्टेयर की स्थित है जो मात्र प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 (प्रार्थीगण के पिता) एवं विप्रार्थीगण संख्या 2 से 13 के पूर्वज स्व. मोडाराम की खातेदारी का था तथा स्व. मोडाराम ने अपने जीवनकाल उक्त भूमि को क्रय कर अपने नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाई तथा उनके फौत होने पर विप्रार्थी संख्या 1 (प्रार्थीगण के पिता) एवं विप्रार्थीगण संख्या 2 से 13 के नाम दर्ज हुआ. उक्त वादग्रस्त भूमि विप्रार्थी संख्या 1 को पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई है। जिसके सन्दर्भ मे राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप 6) विभाग द्वारा एक परिपत्र क्रमांक प.6 (1) राजस्व 6/97/18 दिनांक 08.01.2007 जारी कर स्पष्ट आदेश पारित किया है कि विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09.1997 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि पर जन्म से ही अधिकार है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम मे पिता की पैतृक सम्पति मे पुत्र/पुत्री दोनों ही जन्म से ही अधिकार होता है। इसलिये पुत्र/पुत्री दोनों ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करा सकते है। पैतृक कृषि भूमि में पिता के साथ-साथ पुत्र/पुत्री भी सह कृषक है चाहे राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन नहीं भी हो, इसलिये पुत्र/पुत्री अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही सहकृषक होने के नाते राज काश्त अधि की धारा 53 के अनुसार जोत का विभाजन करा सकते है। इसी प्रकार इसी परिपत्र में आगे अंकित किया है कि यदि [illegible] विभाजन के संबंध में पिता या अन्य पुत्र/पुत्री [illegible] तो ऐसी अवस्था में राज काश्त, अधि की धारा 88 के तहत सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश कर जोत का विभाजन करवाया जा सकता है। प्रार्थीगण, विप्रार्थी संख्या 1 के [illegible] पुत्र/पुत्री होने से यादग्रस्त पैतृक आराजी में विप्रार्थी संख्या 1 के साथ प्रार्थीगण के अधिकार अपने पिता के बराबर उनके जन्म के साथ ही [illegible] चुके है, जिससे प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि में समान 1/36–1/36 हिस्सा पैतृक खातेदारी का है तथा इसी अनुसार प्रार्थीगण विप्रार्थी सख्या 1 के मध्य भूमि का बाहामी बंटवाडा किया हुआ है तथा प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर रहवासी वाणी बनाकर अपने परिवार संहित अलग निवास कर रहे हैं। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का जन्म के साथ अधिकार निहित हो गये थे जिससे वादग्रस्त भूमि अपने पिता के साथ प्रार्थीगण का समान हक हिस्सा था परन्तु उसके बावजूद भी प्रार्थीगण के पिता ने प्रार्थीगण के हितों को अनदेखा करते हुऐ अपने विधिक हिस्सों से अधिक भूमि का बेचान करने पर आमादा है. वादग्रस्त आराजी की वर्तमान में कीमतों में वृद्धि हो जाने के कारण विप्रार्थी सख्या 1 द्वारा भूमि वैचान करने पर प्रयासरत है. विप्रार्थी संख्या 1 को अपने दबाव में लेकर समस्त भूमि का बेचान किसी अजनबी कता को कर प्रार्थीगण को अपने पैतृक सम्पति से दखल करने पर आमादा है और अगर ऐसा करते में सफल हो गये तो न केवल प्रार्थीगण के दावे का उद्देश्य समाप्त होगा अपितु प्रार्थीगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में जब समस्त परिस्थितियों में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:44:42 IST
Reason: SelfAttested

में होने से विप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया ... कि वे वादग्रस्त आराजी मौजा पायला खुर्द पटवार क्षेत्र पायला ... तहसील सिणधरी में खसरा नम्बर 272/2 रकबा 3.9641 हैक्टेयर ... तथा खसरा नम्बर 272/8 रकबा 2.3623 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के ... हिस्सा व कब्जे काश्त में विप्रार्थी संख्या 1 हस्तक्षेप न करे व विवादित ... मौके व राजस्व रेकर्ड की स्थिति यथावत रखें इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी की जावें।

हमने प्रार्थीगण स्वयं की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया एवं तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि उक्त आराजी मुतवफी मोडाराम के फौतेदगी पर विप्रार्थी सं. 1 (प्रार्थीगण के पिता) अकेले के नाम से अंकित हुई। कि प्रार्थीगण कथन अनुसार विवादित भूमि पक्षकारान के पैतृक पुश्तैनी होने के तथ्यानुसार कि जिसके अनुसार विवादित भूमि पक्षकारान के पूर्व पुरुष मोडाराम की थी। जंहा तक प्रार्थीगण की इस्तदुआ अनुसार वादग्रस्त भूमि पैतृक पुश्तैनी होने पर उनका हिन्दु उत्ताराधिकार अधिनियम के तहत खातेदारी हिस्सा सामुहिक रूप से हिस्सा होने अथवा नहीं होने का निस्तारण मूल वाद के जरिये साक्ष्य/सबूतों के आधार पर पक्षकारान की सुनवाई उपरांत निर्णित किया जाना है,परन्तु प्रथम दृष्ट्या प्रार्थिया द्वारा अपने अभिकथनों के अनुसार यदि दौराने विचारण वाद विवादित भूमि का और आगे से आगे बेचान या हस्तांतरण इत्यादि कर दिया जाता है तो पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार नहीं किया जा सकता है और प्रकरण को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदगियां बढेगी। उपरोक्त परिस्थिति को मद्दहेनजर रखते हुए विप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी सं. 1 को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे मौजा पायला खुर्द पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी में खसरा नम्बर 272/2 रकबा 3.9641 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 272/8 रकबा 2.3623 हैक्टेयर की भूमि [illegible] में किसी प्रकार का हस्तान्तरण यथा बेचान इत्यादि [illegible] कर राजस्व रेकर्ड [redacted] की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:44:42 IST
Reason: SelfAttested